

कार्यालय—: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) ऊधम सिंह नगर।
Email- deobasicusnagar@yahoo.in

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक: 2256 /स्थापना/स्थाना०/2025-26

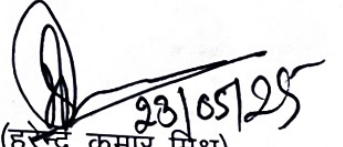
दिनांक: 23 मई, 2025

विषय:— उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम) किये जाने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों की पात्रता सूची अपलोड किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम) किये जाने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों की पात्रता सूची, जो कि आपके द्वारा ई-मेल के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की गई थी। इस कार्यालय के पत्रांक: 1752-61 दिनांक 14.05.2025 द्वारा समस्त उपशिक्षा अधिकारियों को सत्यापन हेतु प्रेषित की गई। समस्त उप शिक्षा अधिकारियों से सत्यापन उपरान्त संकलित संशोधित पात्रता सूची आपको विभागीय वेबसाईट www.https://schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड किये जाने हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः पात्रता सूची विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने की कृपा कीजिएगा।
संलग्न: समस्त पात्रता सूचियाँ


(हरेन्द्र कुमार मिश्र)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर।